10/7/23	बार-बार आवाज दिलवाये जाने के बाद भी ना तो अपीलान्ट एवं ना ही अभिभाषक अपीलान्ट उप० आये। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रा० फैसला शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अ[illegible] प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर